

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 632 / 10

संस्थित दि.: 23 / 08 / 10

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

सुकराजी पिता नवलसिंह धुर्वे, उम्र 29 साल, जाति गोंड,

निवासी अडोरी थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.) आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 12 / 11 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379, 201 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 26 / 02 / 2010 समय करीब 10:30 बजे स्थान सियारपाट रोड थानान्तर्गत बैहर में लीलकण्ट के कब्जे से हीरो होण्डा पेशन प्लस मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50 / एम.सी.3963 को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से उसके कब्जे से हटाकर चोरी कारित की तथा साक्ष्य विलोपित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी लीलकण्ट ने दिनांक 13.03.2010 को आरक्षी केन्द्र बैहर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 26.02.2010 को तारेन्द्र प्रसाद के साथ मोटरसाइकिल हीरो होण्डा पेशन प्लस क्रमांक एम.पी.50 / एम.सी.3963 से परीक्षा फार्म भरने हेतु हाई स्कूल बैहर आया था। स्कूल में दुबे प्राचार्य न मिलने पर उसने एक लड़के से दुबे प्राचार्य के घर का पता पूछा तो उसने बोला कि उसने दुबे प्राचार्य को देखा है और

उसे भी काम है चलो घर बता देता हूँ। लड़के को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठालकर दुबे के घर गया। दुबे सर के घर से लड़के ने चुपके से उसकी मोटरसाइकिल की कुर्सी पर रखी चाबी को उठाकर मोटरसाइकिल को चुराकर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 24/10 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से मोटरसाइकिल जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379, 201 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379, 201 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक 26/02/2010 समय करीब 10:30 बजे स्थान सियारपाट रोड थानान्तर्गत बैहर में लीलकण्ठ के कब्जे से हीरो होण्डा पेशन प्लस मोटरसाइकिल क्रमांक एम. पी.50/एम.सी.3963 को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से उसके कब्जे से हटाकर चोरी कारित की ?

(ब) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर यह जानते हुये कि उक्त मोटरसाइकिल चोरी करना कारित हुआ है, उस अपराध के साक्ष्य का विलोप कारित किया

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ' एवं 'ब' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ' एवं 'ब' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी लीलकण्ठ (अ.सा.01) का कहना है कि घटना वर्ष 2010 की है। वह ग्राम काश्मिरी से मोटरसाइकिल पेशन प्लस से दसवी की परीक्षा का फार्म डालने के लिए शासकीय स्कूल बैहर आया था तो आरोपी ने उससे पूछा कि किससे काम है तो उसने कहा कि उसे दुबे प्राचार्य से काम है और उसकी गाड़ी पर बैठकर दुबे प्राचार्य सर के घर गया था। जब वह दुबे सर के घर पर बैठा था तो उसने उसकी गाड़ी की चाबी वहीं टेबल पर रख दी थी जिसे आरोपी ने वहां से चुपके से उठाकर उसकी गाड़ी को लेकर चला गया। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर की दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। उसके सामने पुलिस ने यशवंत से गाड़ी के कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता रविमिश्रा (अ.सा.05) का कहना है कि उसने दिनांक 13.03.2010 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए प्रार्थी लीलकण्ठ की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 24/10 अन्तर्गत धारास 379 भा.दं.वि. पंजीबद्ध किया था जो प्रदर्श पी-01 है। घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी लीलकण्ठ के बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। यशवंत प्रसाद से मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.सी.3963 का रजिस्ट्रेशन नम्बर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। प्रार्थी लीलकण्ठ साक्षी महेन्द्रप्रसाद, तारेन्द्र प्रसाद, के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। एक आवेदन दिया था जिसे जप्तकर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-06 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-07 तैयार किया था।

(09) अभियोजन साक्षी तारेन्द्र प्रसाद (अ.सा.06) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग चार वर्ष पुरानी है। वह उसकी मोटरसाइकिल से हाई स्कूल बैहर में दसवीं की ओपन परीक्षा का फार्म भरने गया था। एक लड़का खड़ा था उन्होंने उस

लड़के से दुबे सर के घर का पता पूछा तो उसने बोला कि चलो चल कर बता देता हूँ। उसे छोड़कर उसका भतीजा लीलकण्ठ उस लड़के के साथ दुबे सर के घर गये। उसका भतीजा 01:00 बजे आया तो उसे बताया कि गाड़ी की चाबी मांगा और गाड़ी लेकर भाग गया। दो दिन बाद बैहर के तपन चक्रवर्ती ने बताया कि तुम्हारी गाड़ी मिल गई है एवं अभियोजन साक्षी यशवंत साहू (अ.सा.02) का कहना है कि घटना वर्ष 2009-10 की है। उसका भतीजा लीलकण्ठ उसकी मोटरसाइकिल लेकर आया। उसे बाद में पता चला कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पुलिस ने उससे मोटरसाइकिल थाने पर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था।

(10) किन्तु अभियोजन साक्षी महेन्द्र पटले (अ.सा.03) का कहना है कि घटना उसके कथन से 4-5 साल पुरानी है। उसे बैहर बस स्टैण्ड पर यशवंत के छोटे भाई तारेन्द्र ने बोला कि मोटरसाइकिल दे दो तो एक लड़का मोटरसाइकिल सियारपाट तरफ लेकर गया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मनीष पटले (अ.सा.04) का कहना है कि उसके सामने आरोपी से कोई मोटरसाइकिल जप्त नहीं हुई थी और न ही कोई जप्ती की कार्यवाही हुई थी। किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और स्पष्ट बताया है कि पुलिस ने कोरे कागज प्रदर्श पी-06 पर हस्ताक्षर करवाया था।

(11) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष है। फरियादी ने आरोपी के साथ मारपीट की थी और आरोपी से उसकी मोटरसाइकिल छीन ली उससे बचने के लिये पुलिस से मिलकर झूठी रिपोर्ट की और आरोपी को फंसाया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों कथनों में विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण संदेहास्पद है। अतः संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(13) अभियोजन साक्षी/फरियादी लीलकण्ठ (अ.सा.01) ने अपने मुख्यपरीक्षण

में बताया कि घटना वर्ष 2010 की है। घटना दिनांक को वह ग्राम काश्मिरी से मोटरसाइकिल पेशन प्लस से दसवी की परीक्षा का फार्म डालने के लिए शासकीय स्कूल बैहर आया था तो आरोपी ने उससे पूछा कि किससे काम है तो उसने कहा कि उसे दुबे प्राचार्य से काम है तो आरोपी ने उसे प्राचार्य के नहीं आने की सूचना दी थी तथा उसकी गाड़ी पर बैठकर दुबे प्राचार्य सर के घर गया था। जब वह दुबे सर के घर पर बैठा था तो उसने उसकी गाड़ी की चाबी वहीं टेबल पर रख दी थी जिसे आरोपी ने वहां से चुपके से उठाकर उसकी गाड़ी को लेकर चला गया। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर की दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। उसके सामने पुलिस ने यशवंत से गाड़ी के कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में पैरा 10 में यह बताया कि पुलिस ने उसके सामने मोटरसाइकिल जप्त नहीं की थी। मोटरसाइकिल कहां से मिली उसे जानकारी नहीं है।

(14) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता रविमिश्रा (अ.सा.05) ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया कि उसने दिनांक 13.03.2010 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए प्रार्थी लीलकण्ट की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 24/10 अन्तर्गत धारास 379 भा.दं.वि. पंजीबद्ध किया था जो प्रदर्श पी-01 है। घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी लीलकण्ट के बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। यशवंत प्रसाद से मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.सी.3963 का रजिस्ट्रेशन नम्बर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। प्रार्थी लीलकण्ट साक्षी महेन्द्रप्रसाद, तारेन्द्र प्रसाद, के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उक्त दिनांक को एक आवेदन प्राप्त किया, जिसे आरोपी से जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-06 के अनुसार तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि चोरी गई मोटरसाइकिल की जप्ती नहीं हुई।

(15) अभियोजन साक्षी तारेन्द्र प्रसाद (अ.सा.06) का कहना है कि घटना उसके

कथन से लगभग चार वर्ष पुरानी है। वह उसकी मोटरसाइकिल से हाई स्कूल बैहर में दसवीं की ओपन परीक्षा का फार्म भरने गया था। एक लड़का खड़ा था उन्होंने उस लड़के से दुबे सर के घर का पता पूछा तो उसने बोला कि चलो चल कर बता देता हूँ। उसे छोड़कर उसका भतीजा लीलकंठ उस लड़के के साथ दुबे सर के घर गये। उसका भतीजा 01:00 बजे आया तो उसे बताया कि गाड़ी की चाबी मांगा और गाड़ी लेकर भाग गया। इधर उधर मोटरसाइकिल का पता किया तो पता करते हुए अडोरी गये। दो दिन बाद बैहर के तपन चक्रवर्ती ने बताया कि तुम्हारी गाड़ी मिल गई है एवं अभियोजन साक्षी यशवंत साहू (अ.सा.02) का कहना है कि घटना वर्ष 2009-10 की है। उसका भतीजा लीलकंठ उसकी मोटरसाइकिल लेकर आया। उसे बाद में पता चला कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पुलिस ने उससे मोटरसाइकिल थाने पर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था।

(16) किन्तु अभियोजन साक्षी महेन्द्र पटले (अ.सा.03) का कहना है कि घटना उसके कथन से 4-5 साल पुरानी है। उसे बैहर बस स्टैण्ड पर यशवंत के छोटे भाई तारेन्द्र ने बोला कि मोटरसाइकिल दे दो तो एक लड़का मोटरसाइकिल सियारपाट तरफ लेकर गया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(17) अभियोजन साक्षी मनीष पटले (अ.सा.04) का कहना है कि उसके सामने आरोपी से कोई मोटरसाइकिल जप्त नहीं हुई थी और न ही कोई जप्ती की कार्यवाही हुई थी। किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और स्पष्ट बताया है कि पुलिस ने कोरे कागज प्रदर्श पी-06 पर हस्ताक्षर करवाया था।

(18) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है व फरियादी एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से तथा जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के

कथनों में भी गम्भीर विरोधाभास है। आरोपी ने घटना दिनांक 26/02/2010 समय करीब 10:30 बजे स्थान सियारपाट रोड थानान्तर्गत बैहर में लीलकण्ठ के कब्जे से हीरो होण्डा पेशन प्लस मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.सी.3963 को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से उसके कब्जे से हटाकर चोरी कारित की तथा साक्ष्य विलोपित किया। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(19) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि आरोपी सुकराजी ने दिनांक 26/02/2010 समय करीब 10:30 बजे स्थान सियारपाट रोड थानान्तर्गत बैहर में लीलकण्ठ के कब्जे से हीरो होण्डा पेशन प्लस मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.सी.3963 को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से उसके कब्जे से हटाकर चोरी कारित की एवं साक्ष्य विलोपित किये यह सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(20) परिणाम स्वरूप आरोपी सुकराजी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379, 201 के आरोप में दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(21) प्रकरण में आरोपी सुकराजी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(22) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन हीरो होण्डा पेशन प्लस मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.सी.3963 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज उसके पंजीकृत स्वामी को वापस किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)